प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं.....67/2023 दिनांक ..24/3/2023.....

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** धारा 7,
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....439.....समय.....5:00 P.M.....
(ब) अपराध के घटने का दिन गुरू**वार, दिनांक 23.03.2023, समय 04.25 पीएम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की **दिनांक 21.03.2023 समय 8.30 पीएम**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–पूर्व बफासला 110 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– 1. परिवादी श्री अरबाज खान
2. सपरिवादी श्री तालिब खान
(ब).–पिता का नाम :– 1. श्री आसिफ खान
2. श्री मोहम्मद मिया खान
(स).–जन्म तिथि :– 1. उम्र–25 वर्ष
2. उम्र–23 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.
..... (र).–व्यवसायः– मजदूरी
(ल).–पता :– 1. निवासी–नया बाजार चित्तोडी गेट दाराब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. डाक बंगला रोड निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....

(1) श्रीमती धन्नु जाट पत्नि श्री पृथ्वीराज जाट उम्र 34 वर्ष निवासी लोठीयाना पुलिस थाना मंगलवाड़ जिला चित्तौडगढ हाल निवास किराया का मकान सिविल लाईन्स कॉलोनी चित्तोडगढ हाल महिला कानि0 नं0 405 महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
8,000/– रूपये ट्रेप राशि (2000 रूपये दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किए तथा 6000 रूपये दौराने रिश्वत राशि लेन देन ग्रहण करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया)

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य **8,000**/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2023 को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 को अवगत कराया कि श्री अरबाज खान निवासी निम्बाहेडा जिला चितौडगढ के खिलाफ महिला पुलिस थाना चितौडगढ पर उसके ससुराल वालो ने केस कर रखा है। इस संबंध में बातचीत के लिये दिनांक 21.03.2023 को महिला पुलिस थाना चितौडगढ पर श्री अरबाज खान को बुलाया है। महिला कानि0 धन्नु जाट रिश्वत राशि की मांग कर रही है। श्री तालिब और श्री अरबाज के मोबाईल नंबर 7737843586 देकर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 को चितौडगढ जाकर उक्त मोबाईल पर संपर्क कर श्री तालिब के मित्र श्री अरबाज खान से लिखित में शिकायत प्राप्त करने हेतु तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड निकलवाकर कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 को सिपूर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के कम में मांग सत्यापन की कार्यवाही कर लाने हेतु निर्देश देकर समस्त कार्यवाही से मन् पुलिस उप अधीक्षक को हालात से अवगत कराने की हिदायत दे चितौडगढ की तरफ रवाना किया गया। समय 08.30 पी.एम. पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262 कार्यालय में उपस्थित आया और मन पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री अरबाज खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सिपूर्द कर बताया कि "इमरोजा श्रीमान के निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय करीब 10.30 ए.एम. पर चितौडगढ पहुंच श्री अरबाज के मोबाईल नंबर 7737843586 पर संपर्क किया जिस पर उनके बताये अनुसार जिला कलेक्ट्री चितौडगढ के बाहर श्री अरबाज खान पुत्र श्री आसिफ खान उम्र 25 साल जाति मुसलमान निवासी नया बाजार चितौडी गेट दाराब मंजिल निम्बाहेडा जिला चितौडगढ मोबाईल नंबर 7737843586 और उसका मित्र श्री तालिब पुत्र श्री मोहम्मद मियां खांन निवासी निम्बाहेडा डाक बंगला रोड कैंची चौराहा पुलिस थाना निम्बाहेडा कोतवाली जिला चितौडगढ समय करीब 12.30 पी.एम. पर उपस्थित मिले जिन्हें अपनी शिकायत देने हेतु कहने पर श्री अरबाज खान ने उक्त प्रार्थना पत्र/शिकायत रिपोर्ट मुझ कानि. को दी जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रखा और परिवादी व उसके मित्र श्री तालिब को डिजीटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि के बारे में समझाईश की गई तथा परिवादी श्री अरबाज के कहे अनुसार परिवादी के मित्र श्री तालिब को समय करीब 02.33 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सूपुर्द कर परिवादी श्री अरबाज खान व सहपरिवादी श्री तालिब को उनकी निजि मोटरसाईकिल से महिला पुलिस थाना चितौडगढ के लिए रवाना कर मैं उनके पिछे–पिछे चलते हुए महिला पुलिस थाना चितौडगढ के पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी श्री अरबाज व उसके मित्र तालिब के वापस आने के इन्तजार में मुकिम रहा। इसके पश्चात समय करीब 03.13 पी.एम पर परिवादी श्री अरबाज खान व उसका मित्र श्री तालिब दोनो मेरे पास मुकिम स्थल पर उपस्थित आये और परिवादी के मित्र तालिब ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी के मित्र श्री तालिब ने बताया कि "मैं और मेरा मित्र अरबाज खान दोनों आपके पास से रवाना होकर महिला पुलिस थाना चितौडगढ पर पहुंच श्रीमती धन्नु महिला कानिस्टेबल मेडम से मिले लेकिन आज उन्होनें मुझसे और अरबाज से रिश्वत की मांग स्पष्ट नहीं की है लेकिन वह मुझसे वापस रिश्वत राशि की मांग करेगी। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो उपरोक्त तथ्यों की पुष्ठि हुई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में हुई वार्तानुसार संदिग्ध महिला कानि. श्रीमती धन्नु जाट द्वारा रिश्वत राशि मांगने की स्पष्ट पुष्ठि नहीं होने पर आईन्दा पुनः परिवादी व सहपरिवादी के द्वारा सूचित करने पर पुनः मांग सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी श्री अरबाज खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री अरबाज खान द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "मैं प्रार्थी अरबाज खांन पुत्र आसिफ खांन, उम्र–25 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी नया बाजार चित्तौडी गेट दाराब मान्जील निम्बाहेडा कोत्तवाली जिला–चित्तौडगढ का रहने वाला हुं। मेरी पत्नी अरशीन बी उसके पिता मुबारिक अली ने मिलकर मेरे व मम्मी मोहजाबी उर्फ बबली व मेरे छोटे भाई आदिल के खिलाफ महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ पर मेरी पत्नी अरशीन के साथ मारपीट व दहेज प्रताडना का मुकदमा दर्ज करवाया। इस प्रकरण में मेरी मम्मी व मेरे छोटे भाई का नाम हटवाने की एवज में महिला पुंलिस थाना चित्तौडगढ की महिला पुलिस कानि0 धन्नु जाट सी.आई. मेडम के नाम से 8000 (आठ हजार रूपये) रूपये की मांग कर रही है। मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं, मैं रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हुं। मेरी व महिला पुलिस कर्मी धन्नू जाट के बीच कोई आपसी रंजीश नहीं है। और नहीं कोई लेन देन बकाया है। महिला पुलिस धन्नू जाट रिश्वत राशि की मांग मुझसे नही करके मेरे मित्र तालिब पुत्र मोहम्मद मिंया खांन निवासी निम्बाहेडा डाक बंगला रोड कैंची चौराहा पुलिस थाना निम्बाहेडा कोतवाली जिला चित्तौडगढ से ही की है एवं अग्रीम रिश्वत लेने की वार्ता भी तालिब से ही करेगी मेरा मित्र तालिब अपनी सहमति से उक्त कार्यवाही में मेरे साथ उपस्थित रहेगा। अतः कानूनी कार्यवाही

करावें।" उपरोक्त लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दिनांक 21.03.2023 को ही कानि. जितेन्द्र कुमार नं 262 द्वारा कराया गया परन्तु मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि मांग की पुष्टि स्पष्ट नहीं होने से पुनः मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु दिनांक 23.03.2023 को समय 06.00 ए.एम पर कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सिपूर्द कर सपरिवादी के कहे अनुसार हिदायत देकर चितौडगढ की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 23.03.2023 को समय 01.15 पी.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक को कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 ने जरिये दुरभाष बताया कि सपरिवादी व आरोपीया के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। इसके पश्चात सहपरिवादी श्री तालिब खान ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "मैं और मेरा मित्र अरबाज खान दोनों यहां से रवाना होकर महिला पुलिस थाना चितौडगढ पर पहुंचे जहां पर श्रीमती धन्नु महिला कानिस्टेबल से मिले और बातचीत की जिस पर उसने अरबाज के खिलाफ उसके ससुराल वालों द्वारा दर्ज कराये हुये मुकदमें में मदद करने का कहकर मुझसे कुल 8000 रूपये की रिश्वत की मांग की और 2000 रूपये प्राप्त कर लिये है जिन 500 रूपये के चार नोटों की मैनें अपने मोबाईल से फोटो खींच ली है तथा शेष 6000 रूपये रिश्वत राशि भी आज ही धन्नु महिला कानिस्टेबल लेगी।" जिस पर उक्त समस्त हालात कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 द्वारा मन पुलिस उप अधीक्षक को बताने के पश्चात मामले की परिस्थिति अनुसार मन पुलिस उप अधीक्षक ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने में समय कम होने से मन पुलिस उप अधीक्षक के हमराह जाप्ता के चितौडगढ पहुंचने तक कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 को चितौडगढ में ही सुरक्षित स्थान पर रूक कर परिवादी व सहपरिवादी को रिश्वत राशि 6000 रूपये की व्यवस्था कर अपने पास रखने की हिदायत की। समय 03.30 पी.एम पर मन् अनूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य स्वतंत्र गवाह श्री पुरूषोतम दास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता व महिला हैड कानि. श्रीमती सीता नं. 233 व महिला कानि. श्रीमती तारादेवी नं. 259 व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–14–यू0जे0–1746 से तथा ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं 117 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी के व स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश बलाई सहायक पर्यावरण अभियन्ता व श्री भंवरदान कानि. 414, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162 मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–टी0ए0–2301 के चालक श्री दुदालाल के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से चितौडगढ के लिये रवाना हुये। जो समय करीब 03.40 पी.एम. पर कपासन रोड पर ड्राईविंग ट्रेक के पास पहुंचे जहां पर कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 के साथ परिवादी श्री अरबाज खान व सहपरिवादी श्री तालिब उपस्थित मिले। मन् पुलिस उप अधीक्षक को कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सूपुर्द किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादीगण का हमराह जाप्ता से व स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय कराकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान के व परिवादीगण के समक्ष ही उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना तो मांग सत्यापन वार्ता में आरोपिया श्रीमती धन्नु जाट महिला कानि. द्वारा कुल 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 2000 रूपये मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही ग्रहण कर लिये तथा शेष 6000 रूपये की और मांग करना पाया गया। जिसके संबंध में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण ने भी पुष्ठि की। इसी दौरान सहपरिवादी श्री तालिब ने इमरोजा दिनांक 23.03.2023 को हुई मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपिया श्रीमती धन्नु जाट को दिये गये 500–500 रूपये के कुल 2000 रूपये के 04 नोटों की फोटो अपने मोबाईल में खींची थी जिन फोटो की प्रिन्ट दोनो ही स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री अरबाज के समक्ष प्रस्तुत की जिन पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। तत्पश्चात मोके पर ही परिवादी श्री अरबाज खान द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो ही स्वतंत्र गवाहान श्री पुरूषोतम दास तथा रोहिताश बलाई व परिवादी व सहपरिवादी श्री तालिब के समक्ष पढकर सुनाया गया तो परिवादीगण ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उनके द्वारा ही दिनांक 21.03.2023 को कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 को उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की पुष्ठि कर शब्द–ब–षब्द सही होना बताया। जिस पर उक्त मुल हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर परिवादीगण के समक्ष ही दोनो स्वतंत्र गवाहान व मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री अरबाज खान को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री अरबाज खान अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000/–रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः –

क0 सं0	नोट प्रकार	नोट नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट	0GV 550826
2	500 रूपये का एक नोट	1PE 799914

3	500 रूपये का एक नोट	3FV 471912
4	500 रूपये का एक नोट	8CQ 378569
5	500 रूपये का एक नोट	2KR 336932
6	500 रूपये का एक नोट	2DV 651674
7	500 रूपये का एक नोट	4GQ 558622
8	500 रूपये का एक नोट	9UG 899202
9	500 रूपये का एक नोट	5DA 179357
10	500 रूपये का एक नोट	4NF 611751
11	500 रूपये का एक नोट	4PL 574575
12	500 रूपये का एक नोट	9CH 219739

उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु वाहन सं. आर0जे0–30–टी0ए0–2301 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर ब्यूरो जाप्ता के हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 को उसके पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शिशी में से फिनोफ्थेलीन पाउडर निकाल कर परिवादी अरबाज खान द्वारा पेश उपरोक्त समस्त नोटो के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा सपरिवादी तालिब की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश बलाई, सहायक पर्यावरण अभियन्ता क्षैत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजसमन्द से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे समस्त नोटो को सपरिवादी श्री तालिब के शरीर पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साथ लाये पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अरबाज खान व सपरिवादी श्री तालिब को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री अरबाज खान व सपरिवादी श्री तालिब तथा स्वतंत्र गवाहान श्री रोहिताश बलाई व श्री पुरूषोतम दास वैरागी के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117 को अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत कर ए0सी0बी0 कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया तथा सपरिवादी को यह हिदायत भी दी गई कि वह आरोपीया के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें सपरिवादी श्री तालिब को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर परिवादी श्री अरबाज खान को रिश्वत राशि देने का इशारा करे तथा परिवादी श्री अरबाज खान को सपरिवादी से रिश्वत राशि देने का इशारा प्राप्त करने के पश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के मोबाईल फोन पर कॉल करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया एवं सपरिवादी श्री तालिब को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी पृथक से तैयार कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक ने ब्यूरो जाप्ता के कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 व महिला हैड कानि0 श्रीमती सीता नं. 233 को परिवादीगण द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिल से तथा परिवादी श्री अरबाज खान व सहपरिवादी श्री तालिब को उनकी निजी मोटरसाइकिल से रवाना महिला पुलिस थाना चितौडगढ की तरफ किया गया तथा श्रीमती तारा देवी महिला कानि. नं. 259, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162 व श्री भंवरदान कानि. नं. 414 को वाहन बोलेरो संख्या आर.जे. 30 टीए 2301 मय चालक दुदालाल के महिला पुलिस थाना चितौडगढ के पास अपनी उपस्थिति को छिपाते हुये खडे रहने के लिये हिदायत कर रवाना करते हुये मन् पुलिस उप अधीक्षक स्वयं मय स्वतंत्र गवाहान श्री पुरूषोतम दास व श्री रोहिताश बलाई व कानि. मनोज कुमार नं. 23 के वाहन बोलेरो सरकारी नं. आर.जे. 14 यु.जे. 1746 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर के महिला पुलिस थाना चितौडगढ की तरफ रवाना होकर महिला पुलिस थाना चितौडगढ से थोडा पहले रूककर वाहनों को साईड में खडा कर मय हमराहियान के परिवादीगण के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। इसके पश्चात समय 04.25 पीएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल से कॉल कर कहा कि सहपरिवादी ने मुझे मोबाईल फोन कर आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री जितेन्द्र कुमार कानि. व हैड कानि0 श्रीमती सीता नं. 233 को पुलिस थाना के अन्दर जाकर

आरोपिया महिला पुलिस कर्मी के पास जाने की हिदायत दी। कुछ क्षण में ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पुरूषोतम दास वैरागी एवं श्री रोहिताश मय मनोज कुमार कानि0 मय सरकारी वाहन आर.जे. 14 युजे 1746 एवं श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162 एवं श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 व तारादेवी महिला कानि. मय चालक श्री दूदा लाल अनुबंधित वाहन संख्या आरजे–30 टी.ए. 2301 के महिला पुलिस थाना के अन्दर प्रवेष कर परिवादी श्री अरबाज खान व सहपरिवादी श्री तालिब के साथ थानाधिकारी कक्ष में पहुंच कर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व मय हमराहियान का परिचय देते हुए थानाधिकारी से उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ होना बताया। सहपरिवादी श्री तालिब ने महिला पुलिस कर्मी की तरफ ईशारा कर बताया कि यह महिला पुलिस कर्मी धन्नु है जिन्होने मेरे से 6,000 रूपये ग्रहण किये है। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आरोपिया से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्रीमती धन्नु जाट महिला कानि0 नं0 405 महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आरोपियां श्रीमती धन्नु जाट से परिवादी व सपरिवादी से 6000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो घबराते हुए कहा मैं इनको नही जानती हूं तथा मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर सहपरिवादी श्री तालिब ने स्वतः ही बताया कि अभी अभी महिला पुलिस कानि0 श्रीमती धन्नु ने एच.एम. क्राईम कार्यालय में मेरे से 6000 रूपये अपने अपने हाथ में लेकर थानाधिकारी कार्यालय में आयी है। जिस पर श्रीमती सीता हैड कानि0 ने बताया कि जब मैं व जितेन्द्र कुमार कानि0 थानाधिकारी कार्यालय में आये तब श्रीमती धन्नु के हाथ में कुछ रूपये थे जो श्रीमती धन्नु ने हमारे व थानाधिकारी के सामने ही थानाधिकारी की टेबल पर रखे। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः श्रीमती धन्नु महिला कानि0 से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुछा तो श्रीमती धन्नु ने कहा कि मैं प्रकरण संख्या 141/2023 की अनुसंधान पत्रावली अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार लिखा पढी कर रही हूं। मैंने अरबाज खान व उसकी पत्नी के मध्य आज ही काउंसलिंग करवायी थी। फाईल में होने वाले विभिन्न खर्चो के पेठे यह रकम प्राप्त की है, और हाथ जोडकर कहने लगी मुझसे गलती हो गई सर मुझे माफ कर दो। ततपश्चात श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि0 जितेन्द्र कुमार कानि0 262 से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि. नं0 405 के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0–1 व आर0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि. नं0 405 के बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग मटमैला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0–1 व एल0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि. नं0 405 के द्वारा थानाधिकारी की टेबल पर रखी रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश से लिवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवायी गयी तो 500–500 के 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। ततपश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि. नं0 405 के द्वारा थानाधिकारी की टेबल पर रखी रिश्वत बरामदगी स्थल को रूई के फोए को गिला कर धोवण लेकर रूई के फोए को धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमेला होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क टी–01 व टी–02 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई तथा रूई के फोए को जला कर नष्ट किया गया। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक महिला थानाधिकारी से परिवादी श्री अरबाज खान से संबंधित मुकदमें बाबत पुछने पर श्रीमती सुशीला खोईवाल ने कहा कि श्री अरबाज खांन के विरूद्ध प्रकरण संख्या 141/2023 पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज हो अनुसंधान मन् पुलिस निरीक्षक

द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती धन्नु महिला कानि0 उक्त प्रकरण संख्या 141/2023 की पत्रावली की लिखा पढी मेरे निर्देशानुसार बतौर रीडर कर रही है। श्रीमती धन्नु महिला कानि. ने आज श्री अरबाज खान एवं उसकी पत्नी श्रीमती अरशीन बी की काउंसलिंग करवाई थी। श्रीमती धन्नु महिला कानि. ने अरबाज खान एवं तालिब से कोई रिश्वत राशि मांगी हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसके पश्चात आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि0 मय हमराहियान के थानाधिकारी कक्ष से बाहर एच0एम0 कार्यालय में आये। इसके पश्चात आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि. नं0 405 को सपरिवादी श्री तालिब से इमरोजा दिनांक 23.03.23 को 2,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण किए उक्त रिश्वत राशि बाबत पुछा तो आरापीया श्रीमती धन्नु ने 2000 रूपये अपने हैण्ड बैग में ओर अपना हेण्ड बैग एच.एम. फोर्स कार्यालय में स्थित सीसीटीएनएस कम्प्यूटर रूम में रखा होना बताया जिस पर महिला कानि0 श्रीमती तारा के साथ आरोपीया से एचएम फोर्स कार्यालय में सीसीटीएनएस कम्प्यूटर रूम में बायी तरफ पडी टेबल पर रखा हुआ हैण्ड बैग लेकर आयी। उक्त हैण्ड बैग काले रंग का होकर सामने की तरफ Fragrance लिखा हुआ होकर उक्त बैग की तीन जीप (चैन) है, बीच वाली जीप में कुछ रूपये मिले जो स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश ने गिनकर 3570 रूपये होना बताया जो आरोपिया ने हाथ खर्ची के रूपये होना बताया जो आरोपिया के कहे अनुसार उनके भाई श्री राजेन्द्र जाट को संभलाये गये। उक्त बैग के पिछे की जेब की तलाशी में कुछ रूपये मिले जिन्हें दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रोहिताश एवं पुरूषोत्तम दास से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 4 नोट होना बताया। उक्त नोटो को सहपरिवादी श्री तालिब खान द्वारा दौराने मांग सत्यापन से पूर्व 500–500 रूपये के 4 नोटों की अपने मोबाईल में फोटो खीची थी उसकी प्रिन्ट आउट जो पूर्व में पेश की गई थी, उक्त प्रिन्ट आउट से दोनों गवाहान द्वारा उक्त नोटों का मिलान कराया गया तो नोटो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार है:–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2GL 144377
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2UG 847156
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6 DP 083258
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0 PG 622169

उक्त नोट को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त हैण्ड बैग बरंग काला को वजह सबूत जप्त किया गया। इसके पश्चात श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक महिला थानाधिकारी से श्री अरबाज खान के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 141/2023 की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति जरिये तहरीर चाही गई। जिस पर श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक ने उक्त प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की। प्रकरण संख्या 141/2023 धारा 498ए, 406 भा0द0सं0 में दिनांक 09.03.23 को पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा में दर्ज महिला थानाधिकारी चित्तौडगढ के जिम्में तफतीश है। उक्त प्रकरण अनुसंधानाधीन है। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, रिश्वत राशि संबंधी वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार कर मूल एवं डब सीडीया बनाई जाकर नियमानुसार सिलचिट की गई। समस्त फर्दात मौके पर तैयार की गयी।

चूंकि प्रकरण का अनुसंधान श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ़ द्वारा किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में आरोपीया श्रीमती धन्नु जाट महिला कानि0 405 द्वारा बतौर रीडर लिखापढी की जा रही थी। श्रीमती धन्नु जाट महिला कानि0 द्वारा उक्त प्रकरण में बतौर रीडर लिखापढी करते हुए परिवादी श्री अरबाज खान की सहायता करने के नाम से रिश्वत राशि की मांग करना प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुशीला खोईवाल की भूमिका को संदिग्ध बनाता है। मामले हाजा में श्रीमती सुशीला खोईवाल पुलिस निरीक्षक की भूमिका के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपीया श्रीमती धन्नु महिला कानि0 नं0 405 द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी एवं सहपरिवादी से परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 141/2023 में आरोपी श्री अरबाज की सहायता करने की एवज में सपरिवादी श्री तालिब खान से दिनांक 23.03.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 8,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना 2,000 रूपये रिश्वत राशि दौराने मांग सत्यापन लेना तथा ईमरोजा दिनांक 23.03.2023 को 6000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर थानाधिकारी कार्यालय कक्ष में जाकर थानाधिकारी की टेबल पर रखना, जहां से 6,000/– रूपये रिश्वत राशि बरामद होना तथा आरोपीया के दोनों हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवण का रंग मटमैला प्राप्त होना, आरोपीया श्रीमती धन्नु जाट पत्नि श्री पृथ्वीराज जाट उम्र 34 वर्ष निवासी लोठीयाना पुलिस थाना मंगलवाड़ जिला चित्तौडगढ हाल निवास किराया का मकान सिविल लाईन्स कॉलोनी चित्तोडगढ हाल महिला कानि0 नं0 405

महिला पुलिस थाना चित्तौडगढ का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः उक्त आरोपीया के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(अनूप सिंह)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती धन्नु जाट, महिला कानि. नम्बर 405, महिला पुलिस थाना, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 67/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 534-37 दिनांक 24.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

24.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।